न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/ 2022
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/1

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री जयकुमार गॉधी पिता स्व. श्री मगनलाल गॉधी निवासी तलवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 01–12–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार बॉसवाडा के प्रकरण संख्या 01/2021 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत 1954 के तहत दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई अपीलांट श्री जयकुमार गॉधी द्वारा किये गये अवैध निर्माण 31X16=496 वर्गफीट पर अवैध पक्का गौदाम (टिनशेड) व 2114 वर्गफीट पर अवैध निर्माण 12 फीट उचे परकोटे को ध्वस्त करने तथा ग्राम तलवाडा की आराजी सर्वे नं. 3200 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि पर से बेदखल करने तथा अपीलांट पर 75 रुपया शास्ति आरोपित की जाकर दिनांक 28.12.2021 को निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी के तहत रेकार्ड में ताफैसला अपील प्रकरण, कोई परिवर्तन नही करने, किसी प्रकार का हस्तान्तरण अन्य किसी को नही करने व यथा स्थिति रेकार्ड व मौके पर बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

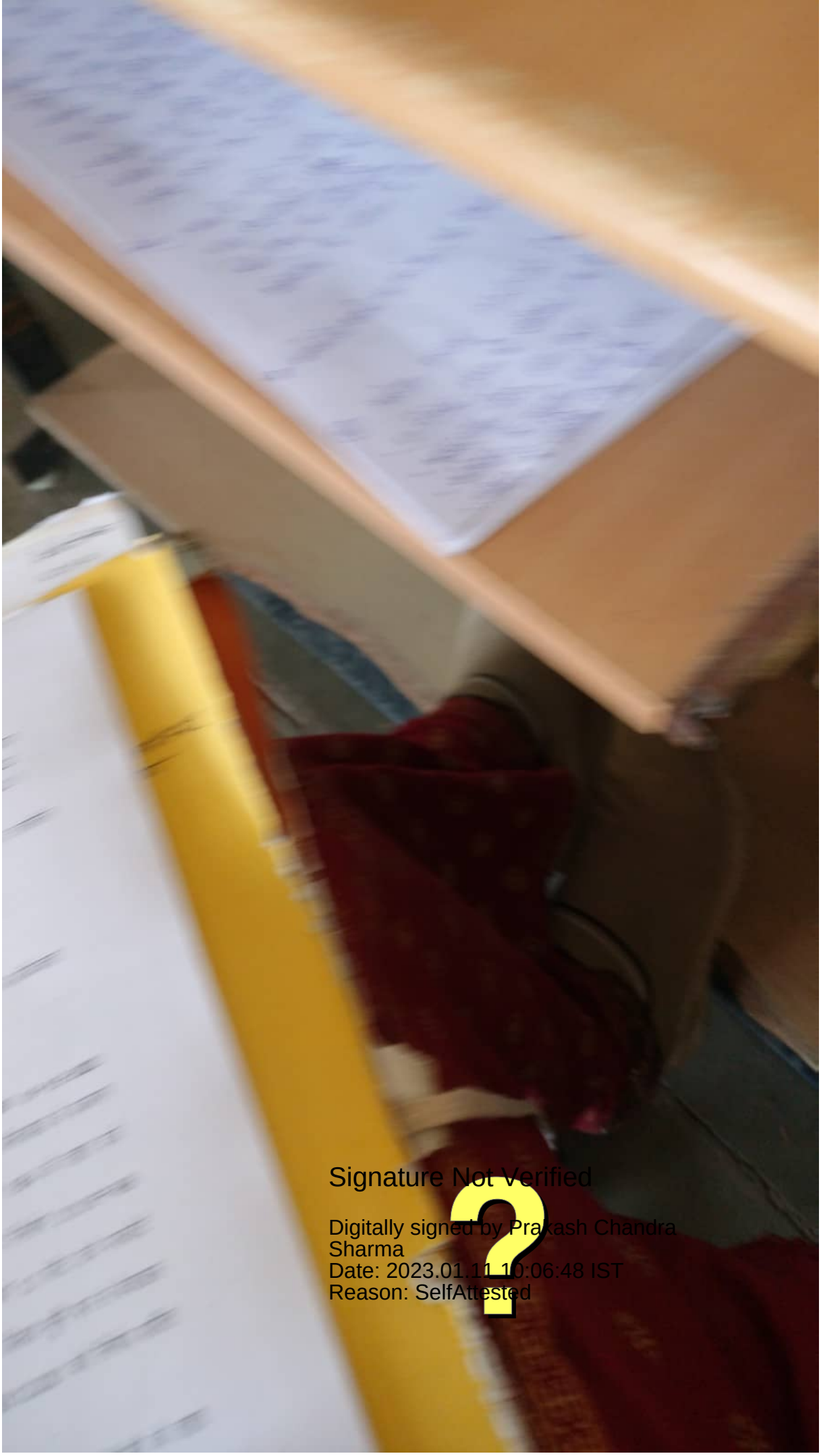

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट तहसीलदार बॉसवाडा को दिनांक 18.01.2022 को नोटिस जारी किया गया तथा मूल पत्रावली तलब की गई। दिनांक 02.02.2022 को अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्रस्तुत हुई।

दिनांक 01–12–2022 को उपस्थित अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता की ओर से अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

तहसीलदार बॉसवाडा के प्रकरण संख्या 01/2021 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत 1954 के निर्णय दिनांक 28.12.2021 के आधार पर रेकार्ड में ताफैसला अपील प्रकरण, कोई परिवर्तन नही करने व यथा स्थिति रेकार्ड व मौके पर बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र पर सुना गया। स्थगन के सम्बन्ध में काई ठोस कारण स्पष्ट नही होने के कारण स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये गयें।

अपील पर बहस के दौरान अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अनुसार कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नोटिफिकेशन दिनांक 30.05.1978 के द्वारा दिए गए है। अर्थात उक्त नोटिफिकेशन के बाद धारा 22 में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। इस प्रकरण में पिठासीन अधिकारी श्री रामसिंह सिसोदिया तहसीलदार बांसवाडा नहीं है। श्री रामसिंह सिसोदिया नायब तहसीलदार बांसवाडा के पद पर पदस्थापित है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में धारा 22 के तहत् नायब तहसीलदार कार्यवाही करने का अधिकार होने के संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा सर्वप्रथम धारा 22 के तहत् नोटिस प्रकरण संख्या 454/2021 कायम कर सुनवाई हेतु पेशी तारीख दिनांक 16.03.2021 नियत कर दिनांक 09.03.2021 को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस का जवाब अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पेश किया गया है। जवाब के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा कुल 28 दस्तावेज सूची के अनुसार पेश किए गए है। उक्त प्रकरण में लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय में कोई कार्यवाही की प्रोसिडिंग की नकलें प्राप्त करने हेतु करीब चार बार प्रार्थनापत्र पेश किए गए लेकिन तहसीलदार बांसवाडा ने प्रोसिडिंग की नकल देने ... प्रोसिडिंग की नकलें नहीं दी। प्रकरण संख्या 454 /2021 का तहसी... किया इसका अब तक कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

ज्ञान अपीलान्ट को नहीं है। पिठासीन अधिकारी श्री रामसिंह सिसोदिया ने पुनः प्रकरण संख्या 1 सन् 2021 दर्ज कर बिना किसी अधिकारिता के एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। एक ही विषय वस्तु के संबंध में प्रकरण संख्या 454 /2021 में कार्यवाही करने के पश्चात् उसी विषय वस्तु के संबंध में पुनः निर्णय पारित करना पूर्व न्याय के सिद्धान्त के अनुसार गैरकानूनी है। धारा 22 की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है जिसमें संक्षिप्त विचारण के प्रावधान है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में से किसी एक प्रकरण में सुनवाई की तारीख दिनांक 13.01.2022 नियत की गई थी। पिठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई की तारीख के पूर्व दिनांक 28.12.2021 को सुनवाई की तारीख नियत नहीं थी। उक्त दिनांक को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया गया है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा जरिये नोटिस दिनांक 17.12.2021 को निर्णय करने की सूचना देकर प्रकरण में सुनवाई की तारीख 28.12.2021 को होना सूचित किया था जिसका नोटिस क्रमांक 1450 दिनांक 17.12.2021 है। दिनांक 28.12.2021 को अपीलान्ट स्वंय तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश कर पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक 13.01.2022 प्रकरण सुनवाई हेतु नियत करने की प्रार्थना की है। जिस पर पत्रावली में दिनांक 13.01.2022 की पेशी नियत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि पिठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई की नियत तारीख से पूर्व ही दिनांक 28.12.2021 को निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 29.07.2021 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुसार प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। जिसमें पिठासीन अधिकारी ने प्रार्थनापत्र का निर्णय नहीं कर इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। अपीलान्ट की किसी भी प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं की है। अपीलान्ट को न्याय से वंचित करने के उद्धेश्य से एवं मनमाने ढंग से प्रकरण का विचारण करने के उद्धेश्य से एवं अपनी गलतियों को छुपाने के उद्धेश्य से अपीलान्ट को प्रकरण की आदेशिकाओं की नकल जान–बुझकर नहीं दी गई है। प्रकरण का सम्पूर्ण विचारण दूषित है। अपने निर्णय में भू–अभिलेख निरीक्षक तलवाडा श्री शशि कुमार शर्मा की रिपोर्ट दिनांक 17.08.2021 जो कि न्यायालय में दिनांक 18.08.2021 को प्रस्तुत करना बताया गया है। इस रिपोर्ट की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं है। [illegible] दिनांक 22.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

में ही जवाब की चरण संख्या 3, 4 व 9 में पहले से ही अपीलान्ट के समक्ष विवादित भूमि के चारों तरफ के सर्वे नंबरों एवं मुस्तकील पोईन्ट से नापने पर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का निवेदन किया है। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने पूर्व के आदेश एवं रिपोर्ट के विपरित अर्थात स्वंय के विपरित रिपोर्ट नहीं करता है। जिस भूमि को श्री सरकार बताया जा रहा है वह भूमि अपीलान्ट की पत्नी श्रीमती अरूणा पुत्र प्रितेश गांधी, श्री मनोज शाह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय भूमि है। आवासीय भूमि के संबंध में तहसीलदार/नायब तहसीलदार बांसवाडा को अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय भूमि एवं भवन से धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम तथा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की आड़ में बेदखल करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकरण की भूमि आवासीय भूमि है तथा आवासीय भूमि के संबंध में पारित आदेश गैरकानूनी होकर काबिल खारजी है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें एवं निर्णय दिनांक 28.12.2021 निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक तलवाडा एवं पटवारी हल्का तलवाडा द्वारा दिनांक 09.03.2021 को रिर्पोट की गई कि श्री जयकुमार पिता मगनलाल गॉधी निवासी तलवाडा द्वारा तलवाडा के आराजी सर्वे नंबर 3200 रकबा 0.03 बीघा भूमि श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड है। इस भूमि पर 31 गुणा 16 फिट अर्थात 496 वर्ग फिट पर अवैध पक्का गोदाम टीन शेड का निर्माण पाया गया है एवं आराजी नंबर 3200 कुल क्षैत्रफल 2610 वर्ग फिट में से 496 वर्ग फिट पर गोदाम शेष 2114 वर्ग फिट पर अपीलांट जय कुमार अपनी आबादी भूमि के साथ मिलाकर 12 फिट की दिवार बनाकर अपने परकोटे में शामिल कर लिया है। इस पर राजस्थान अपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट के जवाब एवं जवाब में प्रस्तुत की गई आपत्ति पर भू अभिलेख निरीक्षक तलवाडा से पुनः जॉच एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट दिनांक 18.08.2021 के आधार पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अपीलांट श्री जयकुमार द्वारा किये गये अवैध निर्माण 496 वर्ग फिट टीन शेड का गोदाम व 2114 वर्ग फिट भूमि पर अवैध निर्माण 12 फिट उचे परकोटे का ध्वस्त करने एवं अपीलांट पर राशि रुपया 75 आरोपित करने आदेश दिनांक 28.12.2021 को दिये गये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा वा तलफ किया गया —

Scanned with Oken Scanner

इस प्रकार विधिवत् सुनवाई करने के पश्चात् आदेश परित किये गये है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट श्री जय कुमार गांधी पिता मगनलाल गांधी निवासी तलवाडा के विरुद्ध पटवारी पटवार हल्का तलवाडा द्वारा रिपोर्ट कर ग्राम तलवाडा की आराजी नंबर 3200 रकबा 0.03 बिघा किस्म श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड भूमि पर श्री जय कुमार गांधी पिता मगनलाल गांधी ने 31X16=496 वर्गफीट पर अवैध पक्का गौदाम (टिनशेड) का निर्माण किया पाया, साथ ही आराजी नंबर 3200 कुल क्षैत्रफल कुल 2610 वर्गफीट मे से 496 वर्गफीट में गोदाम एवं शेष 2114 वर्गफीट भूमि पर श्री जयकुमार द्वारा अपनी आबादी भूमि के साथ मिलाकर 12 फीट की दीवार बनाकर अपने परकोटे में शामील कर लिया है। पटवारी हल्का तलवाडा की जॉच, मौतबिरानो के रुबरु तैयार किया गया मौका पर्चा दिनांक 08.03.2021 के आधार पर तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक तलवाडा द्वारा दिनांक 17.08.2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी ग्राम तलवाडा के खसरा नं. 3200 रकबा 0.03 बिघा पर श्री जयकुमार गांधी का अतिक्रमण पाये जाने पर एवं प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षो को विधि सम्मत सुनते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28-12-2021 पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2021 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत निर्णय दिनांक 28-12-2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय इस न्यायालय के निर्णय के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner